सं.1(3)/2008-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
24 अप्रैल, 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः-पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार पूर्व-संशोधित वेतनमान में वेतन आहरित करने वाले केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए 01.01.2015 से लागू महंगाई भत्ते की दरें।

अधोहस्ताक्षरी को इस विभाग के 25 सितम्बर, 2014 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन का अवलोकन करने का निदेश हुआ है जो केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों जिन्होंने पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार **पूर्व-संशोधित वेतनमानों** में अपना वेतन आहरित करना जारी रखा है, के संबंध में महंगाई भत्ते की दरों में संशोधन के बारे में है।

2. केन्द्र सरकार और केन्द्रीय स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों की उपर्युक्त श्रेणियों के लिए स्वीकार्य महंगाई भत्ते की दरें दिनांक 01.01.2015 से मौजूदा 212 प्रतिशत से बढ़कर 223 प्रतिशत हो जाएंगी। 03 अक्तूबर, 2008 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में दी गई अन्य सभी शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

3. इस कार्यालय ज्ञापन की विषय-वस्तु को मंत्रालयों/विभागों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन संगठनों के ध्यान में भी लाया जाए जिन्होंने केन्द्र सरकार के वेतनमानों को अंगीकार किया है

२४।४।१५

(ए. भट्टाचार्य)
अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।

प्रतिलिपि अग्रेषितः नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग आदि (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ) मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार।